

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

फोन नं० 0612-2219545 (का०)
फैक्स नं०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :-

21-11-2013

शस्त्र अपील वाद संख्या-25/2007, आयुक्त न्यायालय, पटना में आवेदक श्री वासुदेव प्रसाद, पिता-स्व० रंगु महतो, सा०-ढेलवाँ, थाना-रामकृष्णानगर, जिला-पटना के एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-11-373/2004 में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दिनांक-02.04.2013 को आयुक्त न्यायालय के द्वारा आवेदन पर पुनर्विचार करते हुए उसे निष्पादित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-21.11.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-434/गो०, दिनांक-20.03.2010 द्वारा थानाध्यक्ष, रामकृष्णानगर के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदक सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा उनकी उम्र करीब 72 वर्ष है। ये शस्त्र की सुरक्षा में सक्षम प्रतीत नहीं होते हैं। वर्तमान में उनके उपर किसी प्रकार की आशंका की सूचना नहीं है और ना ही ऐसा कुछ इन्होंने बताया है। उनकी अवस्था एवं परिस्थिति को देखते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति देना उचित प्रतीत नहीं होता है। तदोपरान्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अधीनस्थ पदाधिकारियों के मंतव्य से सहमत होकर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस प्रदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, रामकृष्णानगर एवं अंचल पुलिस निरीक्षक, पुनपुन अंचल के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, रामकृष्णानगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक हैं। उम्र के लिहाज से आवेदक शस्त्र की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में 'नहीं' प्रतिवेदित किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है और न ही अनुशंसा अंकित की गयी है।


शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, और उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :


परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।”

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही उल्लेखनीय है कि आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री वासुदेव प्रसाद, पिता-स्व0 रंगु महतो, सा0-ढेलवाँ, थाना-रामकृष्णानगर, जिला-पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।